रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249007 CG-DL-E-26092023-249007

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] No. 547] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 26 सितम्बर, 2023

11/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 689(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र. सं. 9 के सामने, कॉलम (3), मद (ii), शब्दों "जिसके अंतर्गत किसी गैर-कराधेय राज्य क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी से सीमाशुल्क केंद्र तक

6120 GI/2023 (1)

परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाई गई सेवाएं भी हैं" को विलोपित किया जाए।

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC] राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और सा.का.िन. 538(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 06/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के जिए अंतिम बार संशोधित की थी।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

No. 11/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (ii), the words "including services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India", shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification number 08/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 06/2023-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the official gazette *vide* number G.S.R. 538(E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 26 सितम्बर, 2023

12/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 690(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पिठत, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में परंतुक के स्थान पर,निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"बशर्ते कि छूट प्रविष्टि (क) या प्रविष्टि (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं पर लागु नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC] राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणः प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.िन. 541 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

12/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 690(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 10, in column (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that the exemption shall not apply to online information and database access or retrieval services received by persons specified in item (a) or item (b).".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st October, 2023

[F. No. CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC]
RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification number 9/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 07/2023 -Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 541 (E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 26 सितम्बर, 2023

13/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 691(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC] राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणः प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.िन. 544 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

13/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 691(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, serial number 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 10/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 08/2023-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 544(E), dated the 26th July, 2023.